



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011—अग्रहायण 25, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 1-2-2011-एक (1).—“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 21 जुलाई 2011 में प्रकाशित की गई मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-2011-एक (1)-1508, दिनांक 21 जुलाई, 2011 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आये हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गया शब्द पढ़े जाए:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आये हैं (2)	शुद्ध शब्द जो पढ़े जाए (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
"XXV-TRIBAL CASTE WELFARE"	702(2)	9	"XXV-TRIBAL WELFARE"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.